

समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला गोपनीय शाखा)

26/4/16

मो० सोहैल, भा० प्र० से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 13-04-2016 को विद्युत विभागीय संबंधी किये गये कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. जिलाधिकारी, मधेपुरा
2. नोडल पदाधिकारी, विद्युत, मधेपुरा
3. कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा
4. कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना, मधेपुरा
5. जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा
6. सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा
7. सहायक अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज
8. राजस्व पदाधिकारी, मधेपुरा
9. सहायक अभियंता, विद्युत परियोजना, मधेपुरा
10. कनीय अभियंता, विद्युत, मधेपुरा शहरी
11. कनीय अभियंता, विद्युत, मधेपुरा ग्रामीण
12. कनीय अभियंता, विद्युत, सिंहेश्वर
13. कनीय अभियंता, विद्युत, मुरलीगंज
14. कनीय अभियंता, विद्युत, कुमारखण्ड
15. कनीय अभियंता, विद्युत, आलमनगर
16. कनीय अभियंता, विद्युत, चौसा
17. कनीय अभियंता, विद्युत, ग्वालपाड़ा
18. कनीय अभियंता, विद्युत, बिहारीगंज
19. कनीय अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज
20. बिलिंग एजेंसी, मधेपुरा
21. श्री शेखर सुमन, फीडबैक इन्फ्रा
22. श्री धिरेन्द्र कुमार, सुप्रिमो एण्ड कॉ०
23. श्री सुरेन्द्र बनर्जी, लुमिनो
24. श्री सुरेन्द्र सिंह, टेक्नो फेव इंजि० लि०

जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी /अभियंता /कर्मी एवं संवेदकों को बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग के कार्य-कलापों की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक माह मुख्य सचिव महोदय द्वारा की जाती है एवं अपेक्षित सुधार हेतु सख्त निर्देश दिये जाते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अभियंता, एजेन्सी एवं संवेदक अपना-अपना कार्य लगनशील होकर एवं ईमानदारी पूर्वक करें। चूंकि यह टीमवर्क है, एक का भी खराब प्रदर्शन, पूरी टीम के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता अमान्य होगी और दोषी पदाधिकारी /कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(2) ट्रांसफार्मर :-

- (i) कार्यपालक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा द्वारा जिला में अधिष्ठापित ट्रांसफार्मर के संबंध में जांचकारी दी गई। जिलाधिकारी द्वारा ट्रांसफार्मर की विस्तृत समीक्षा की गयी।
- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस माह में एक भी ट्रांसफार्मर नहीं जला है।
 - इसी प्रकार कुल-239 ट्रांसफार्मर का मेनटेनेंस किया गया है। सभी संबंधित कनीय अभियंता /सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निर्देश दिया गया कि ट्रांसफार्मर का मेनटेनेंस शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /सभी सहायक अभियंता /सभी कनीय अभियंता /सभी संवेदक /सभी एजेन्सी)

(3) Meter Insatllation

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर इन्स्टॉलेशन की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी, जिस पर खेद व्यक्त किया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस माह में न्यू सर्चिय कनेक्शन के तहत मधेपुरा अनुमण्डल में 980 तथा उदाकिशुनगंज अनुमण्डल अन्तर्गत 1028 मीटर इन्स्टॉलेशन किया गया है, स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी।

➤ जिलाधिकारी द्वारा सभी कनीय /सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि सभी उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान में शत-प्रतिशत मीटर इन्स्टॉल किया जाए, ताकि सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लग सके। साथ ही कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निर्देश दिया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा मीटर शत-प्रतिशत लगाया जा रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा अपने स्तर से करें तथा हरहाल में मीटर शत-प्रतिशत लगावाना सुनिश्चित करें एवं प्रतिवेदन गोपनीय शाखा में समाहित करने का निर्देश दिया गया।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता /सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज)

(4) Billing

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र में मात्र 82.21 प्रतिशत एवं उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र में मात्र 59.68 प्रतिशत मीटर शीडिंग किया गया है।

जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मीटर शीडिंग का फीडरवार समीक्षा की गयी एवं स्थिति निम्नवत् पायी गयी :-

❖ **मधेपुरा शहरी :-** समीक्षा के क्रम में कनीय अभियंता, मधेपुरा शहरी द्वारा बताया गया कि 10,190 में से 8600 उपभोक्ताओं का मीटर शीडिंग किया गया है। 577 मीटर जला हुआ है। भ्रमण के क्रम में 181 उपभोक्ताओं का घर बंद पाया गया तथा लगेभंग 500 जैसे उपभोक्ता हैं, जो ट्रेसलेस (जिराका अता-पता नहीं) है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर खेद प्रकट किया गया तथा कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निर्देश दिया गया कि कनीय अभियंता, मधेपुरा शहरी के विरुद्ध चेतावनी नोटिस निर्गत करें कि इन्हें बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद भी मीटर शीडिंग शत-प्रतिशत नहीं करने के निमित्त वषों नहीं इनके विरुद्ध विभागा को प्रोन्वति रोकने हेतु प्रतिवेदन कर दिया जाए।

➤ प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि मनी शीसिट 7200 का ही किया गया है, जबकि शत-प्रतिशत विद्युत विपन्न वितरण नहीं क्यया गया है। निर्देशित किया गया कि जितना मनी शीसिट तैयार करें, तत्पश्चात् शत-प्रतिशत विपन्न वितरण कराना सुनिश्चित करें।

➤ जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनता दरबार में प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है कि मधेपुरा शहरी क्षेत्र में विद्युत बिल की राशि जमा करने हेतु एक ही जगह तीन काउन्टर स्थापित किया गया है, जिसके कारण उपभोक्ताओं का बड़ी संख्या में लाईन लगा रहता है तथा समय समाप्त हो जाने के बाद उपभोक्ता बिना विद्युत की राशि जमा किए वापस लौट आते हैं। सहायक अभियंता, विद्युत एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि तीन अलग-अलग जगह विद्युत बिल जमा करने हेतु काउन्टर स्थापित कराना सुनिश्चित करें एवं कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि की व्यवस्था ससमय सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन आगामी बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि उपभोक्ताओं द्वारा नियत समय पर विद्युत की बकाया राशि जमा कर सकें।

➤ समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कनीय अभियंता, विद्युत शहरी, मधेपुरा से पृच्छा की गयी कि कौन सा इलाका है, जहां विद्युत रीडिंग करने में समस्या उत्पन्न होती है, तो कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि कोई जगह चिन्हित नहीं है, बल्कि उपभोक्ता ट्रेसलेस है, जिसका नाम, पता का कोई पता नहीं चल रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014 में वैसे उपभोक्ताओं के नाम, पता का सर्वे कराया गया था, अतएव उनकी सूची विद्युत कार्यालय में अवश्य होगी तथा उसी सूची के अनुरूप उपभोक्ताओं को पता लगाना सुनिश्चित करें।

➤ कनीय अभियंता, विद्युत, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि आगामी माह से पूर्व 900 उपभोक्ताओं का रीडिंग शत-प्रतिशत सुनिश्चित करा लिया जाएगा। बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि ट्रेसलेस उपभोक्ताओं की जांच-पड़ताल अपने स्तर से सुनिश्चित करें तथा यदि उनका कोई पता नहीं चलता है, तो उन सभी ट्रेसलेस उपभोक्ताओं की सूची अलग बनावें तथा विभाग को संसूचित करें।

❖ मधेपुरा ग्रामीण क्षेत्र :-

➤ कनीय अभियंता, विद्युत, ग्रामीण, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 11,429 मीटर रीडिंग हेतु लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरुद्ध 8299 मीटर रीडिंग ही हुआ है तथा आगामी माह में 9000 मीटर रीडिंग कर लिया जायेगा।

➤ जिलाधिकारी द्वारा विगत तीन माह यथा- फरवरी, मार्च एवं अप्रैल, 2016 में किए गए मीटर रीडिंग की तुलना में पाया गया कि स्थिति संतोषजनक नहीं है, दिन-प्रतिदिन मीटर रीडिंग कम ही हो रहा है, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विद्युत विपत्र का वितरण भी उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत नहीं हो रहा है, जिसके कारण राजस्व की वसूली सही ढंग से नहीं हो रही है। सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से जांच करें, क्षेत्र भ्रमण करें तथा बिल वितरण तथा राजस्व की वसूली शत-प्रतिशत सुनिश्चित करावें। कनीय अभियंता, मधेपुरा ग्रामीण क्षेत्र द्वारा बताया गया कि इस माह में 22.37 प्रतिशत बिल का भुगतान हुआ है तथा आगामी माह में 10 प्रतिशत और बढ़ेगा एवं 32 प्रतिशत कर लिया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि आगामी माह में 10 प्रतिशत अधिक रीडिंग एवं वसूली कर ली जाती है, तो कनीय अभियंता, विद्युत ग्रामीण क्षेत्र को अधोहस्ताक्षरी के तरफ से नियमानुसार प्रशस्ति पत्र /पुरस्कार दिया जायेगा।

